तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अरकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/02/24 पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर सनन किया गया। मुताबिक प्रा॰पत्र प्रार्थी-" विवादित भूमि रकबा 62 बीघा 9 बिस्वा, वादी एवं प्रति॰ सं॰ 01 ता 05 की संयुक्त खातेदारी में है। इस भूमि में 1/2 हि॰ वादी का एवं 1/2 हि॰ प्रति॰ सं॰ 01ता05 का है। ख॰सं॰ 1145/1 (2 बीघा 18 बिस्वा) में वादी एवं प्रति॰ सं॰ 01 ता 05 ने 6 बिस्वा भूमि का बेचान रास्ते हेतु अन्य व्यक्तियों को किया। उक्त बेचान प्रति॰ सं॰ 01 ता 05 ने वादी के कहने पर किया है अतः 6 बिस्वा भूमि वादी के हि॰ में से कम हो। अतः अप्रार्थी सं॰ 01 ता 05 को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।"

मुताबिक जवाब अप्रार्थी-" अगर ~~अप्रार्थी~~ प्रार्थी अपने हि॰ में से 6 बिस्वा भूमि कम करवाता है तो अप्रार्थीगण को एतराज नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की जा रही है, अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।"

उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा॰ पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों को पाबंद किया जाता है कि वे ख॰ सं॰ 1145/1 (2 बीघा 18 बिस्वा), ख॰ सं॰ 281 (33 बीघा 3 बिस्वा), 287 (18 बीघा, 18 बिस्वा),

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ख. सं. 288 (7 बीघा 10 बिस्वा) के record की यथास्थिति ताफैसला मूलवाद बनाए रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल - दफ्तर हो।
	Preeti